

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0 सं0-5/अ0प्र0-01-03/2022

122


/पटना, दिनांक- 22/4/22

वित्त विभाग के संकल्प सं0-8043 दिनांक-11.10.2017 के कडिका-3 (B) i के आलोक में निम्नांकित नव नियुक्त सहायक अभियंताओं को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य परिवहन भत्ता की स्वीकृति दी जाती है:-


क्रमांक	नव नियुक्त सहायक अभियंता का नाम	पदस्थापन स्थान	योगदान/प्रभार ग्रहण करने की तिथि	अनुमान्य परिवहन भत्ता
1	2	3	4	5
1	श्री प्रशांत कुमार	अभियंता प्रमुख का कार्यालय, बिहार, पटना	21.02.2022	3000/- + DA
2	श्री कुमार निशांत उज्ज्वल	मुख्य अभियंता-4 (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	18.02.2002	
3	श्री फैसल रागिब		18.02.2022	
4	श्री प्रशांत कुमार		18.02.2022	
5	सुश्री रश्मि किरण		18.02.2022	
6	सुश्री प्रिया राजपूत		18.02.2022	
7	सुश्री नायला नायाब		18.02.2022	
8	सुश्री वंदना कुमारी		18.02.2022	
9	सुश्री श्रुति सिन्हा		21.02.2022	
10	सुश्री अंजली		22.02.2022	

2. यह भत्ता अवकाश/प्रशिक्षण/भ्रमण आदि के कारण लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में देय नहीं होगा।


3. इन्हें आवास से कार्यालय आने-जाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में यह भत्ता देय नहीं होगा।


21/4/2022
(संजय दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-20/2013 2856 /पटना, दिनांक- 22/4/22
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0का0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/4/2022
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-20/2013 2856 /पटना, दिनांक- 22/4/22
प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सहायक अभियंता/आई0टी0, मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/4/2022
सरकार के विशेष सचिव

